

समाहरणालय, मधेपुरा

(शस्त्र शाया)

ज्ञापांक ..... /शस्त्र,

प्रेषित,

जिला शस्त्र शाया, मधेपुरा,  
दिनांक.....

श्री जागेश्वर प्रसाद सिंह पुत्र स्व नथू सिंह गाम पो० सकरपुरा जिला मधेपुरा  
विषय : शस्त्र अनुज्ञापित धारित शस्त्र का दिए गए विधारित तिथि तक भौतिक सत्यापन नहीं कराये जाने कारण  
स्पष्टीकरण के संबंध ।

अनुज्ञापित संख्या	शस्त्र का प्रकार	नवीकृत वर्ष	वित्तम् वा अवधि		
			वर्ष	माह	दिन
15 /82 (मधेपुरा थाना)	D.B.B.L GUN	2009	3	12	9

इस कार्यालय के पत्रांक 1835/गो०, दिनांक 09-09-2013 तथा वेतार संवाद संख्या 462/वि०, दिनांक 08-10-2013 द्वारा मधेपुरा जिलान्तर्गत सभी शस्त्र अनुज्ञापितों पर धारित आग्नेयास्त्रों के भौतिक सत्यापन एवं डाटा बैस तैयार करने हेतु क्रमशः दिनांक 04-10-2013 एवं 05-10-2013 तथा दिनांक 19.10.2013 को अपने संबंधित थाना में उपस्थित होकर विहित प्रपत्र में विवरणी भरकर अनुज्ञापित पर धारित शस्त्र का भौतिक सत्यापन कराने हेतु विदेश दिया गया था, जिसकी सूचना सभी मुख्य-मुख्य दैनिक समाचार पत्रों में क्रमशः दिनांक 30-09-2013 (पी०आर०न०-7235 (जिला)13-14 एवं 12-10-2013 (पी०आर०न०-7819 (जिला)13-14) को प्रकाशित था, परन्तु आपके द्वारा निर्धारित तिथि को अपने शस्त्र अनुज्ञापितों पर धारित आग्नेयास्त्रों का भौतिक सत्यापन नहीं कराया है, जो शस्त्र नियमावली 1962 की धारा-63 एवं आग्नेयास्त्र अनुज्ञापित की शर्त-९(ए) का उल्लंघन एवं धोर लापरवाही का दोषक है।

आपके इस कृत के लिए आपके के नाम से निर्गत उक्त शस्त्र अनुज्ञापित को शस्त्र अधिनियम की धारा 17 (3) के तहत तत्कालिक प्रभाव से निलंबित किया जाता है

अतएव आदेश दिया जाता है कि आप अपना स्पष्टीकरण साक्ष्य सहित दिनांक 30-12-13 तक विहित प्रपत्र में विवरणी को भरकर (जो मधेपुरा जिला के बेबसाईट <http://www.madhepura.bih.nic.in> पर उपलब्ध है) अद्योहस्ताक्षरी के अवलोकनार्थ स्वयं या अपने अधिवक्ता के माध्यम से समर्पित करना सुनिश्चित करें कि दो-दो बार सभी मुख्य-मुख्य दैनिक समाचार पत्रों में क्रमशः दिनांक 30-09-2013 एवं 12-10-2013 को प्रकाशन कराए जाने के बावजूद भी आपके द्वारा क्यों वही अपने अनुज्ञापित पर धारित शस्त्र का भौतिक सत्यापन कराया गया। उक्त तिथि तक स्पष्टीकरण अप्राप्त रहने की दिक्षित यह समझा जाएगा कि आपको कुछ नहीं कहना है एवं आपकी अनुज्ञापित को रद्द करने की कार्रवाई कर दी जाएगी।

१२/१२/१३  
जिला दण्डाधिकारी,  
मधेपुरा।

ज्ञापांक 22 ...../शस्त्र, मधेपुरा, दिनांक १२/१२/१३

प्रतिलिपि : पुलिस अधीक्षक, मधेपुरा को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित ।

प्रतिलिपि : अनुमण्डल पदाधिकारी, मधेपुरा/उदाकिशुबगंज को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित ।

प्रतिलिपि : थानाध्यक्ष, मधेपुरा को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित। विदेश दिया जाता है कि थाना में संधारित शस्त्र निरीक्षण पंजी में भी इसकी प्रविष्टि करना सुनिश्चित करेंगे। साथ ही वे उक्त अनुज्ञापिताधारी के पता पर तामिला करा कर उनके निवास स्थान/ पता के संबंध में जॉच कर प्रतिवेदन पुलिस अधीक्षक, मधेपुरा के माध्यम से समर्पित करना सुनिश्चित करेंगे।

१२/१२/१३  
जिला दण्डाधिकारी,  
मधेपुरा।

समाहरणालय, मधेपुरा  
(शस्त्र शाखा)

ज्ञापांक...../शस्त्र,

जिला शस्त्र शाखा, मधेपुरा,  
दिनांक.....

प्रेषित,

भारतीय स्टेट बैंक, ए०डी०वी०, मधेपुरा, रीटेनर:-श्री विश्वनाथ प्रसाद, बैंकगार्ड स्टेट बैंक ऑफ इण्डिया ए०डी०वी०, मधेपुरा,

विषय : शस्त्र अनुज्ञाप्ति धारित शस्त्र का दिए गए निर्धारित तिथि तक भौतिक सत्यापन नहीं कराये जाने कारण स्पष्टीकरण के संबंध ।

अनुज्ञाप्ति संख्या	शस्त्र का प्रकार	नवीकृत वर्ष	विलम्ब का अवधि		
			वर्ष	माह	दिन
22 /82 (मधेपुरा थाना)	D.B.B.L GUN	2008	4	12	8

इस कार्यालय के पत्रांक 1835/गो०, दिनांक 09-09-2013 तथा वेतार संवाद संख्या 462/वि०, दिनांक 08-10-2013 द्वारा मधेपुरा जिलान्तर्गत सभी शस्त्र अनुज्ञाप्तियों पर धारित आग्नेयास्त्रों के भौतिक सत्यापन एवं डाय बेस तैयार करने हेतु क्रमशः दिनांक 04-10-2013 एवं 05-10-2013 तथा दिनांक 19.10.2013 को अपने संबंधित थाना में उपस्थित होकर विहित प्रपत्र में विवरणी भरकर अनुज्ञाप्ति पर धारित शस्त्र का भौतिक सत्यापन कराने हेतु निर्देश दिया गया था, जिसकी सूचना सभी मुख्य-मुख्य दैनिक समाचार पत्रों में क्रमशः दिनांक 30-09-2013 (पी०आर०नं०-7235 (जिला)13-14 एवं 12-10-2013 (पी०आर०नं०-7819 (जिला)13-14) को प्रकाशित था, परन्तु आपके द्वारा निर्धारित तिथि को अपने शस्त्र अनुज्ञाप्तियों पर धारित आग्नेयास्त्रों का भौतिक सत्यापन नहीं कराया है, जो शस्त्र नियमावली 1962 की धारा-63 एवं आग्नेयास्त्र अनुज्ञाप्ति की शर्त-१(ए) का उल्लंघन एवं धोर लापरवाही का दोषक है।

आपके इस कृत के लिए आपके के बास से निर्णत उक्त शस्त्र अनुज्ञाप्ति को शस्त्र अधिवियम की धारा 17 (3) के तहत तत्कालिक प्रभाव से निलंबित किया जाता है।

अतएव आदेश दिया जाता है कि आप अपना स्पष्टीकरण साक्ष्य सहित दिनांक 30-12-13 तक विहित प्रपत्र में विवरणी को भरकर (जो मधेपुरा जिला के बेबसाईट <http://www.madhepura.bih.nic.in> पर उपलब्ध है) अद्योहस्ताक्षरी के अवलोकनार्थ स्वयं या अपने अधिवक्ता के माध्यम से समर्पित करना सुनिश्चित करें कि दो-दो बार सभी मुख्य-मुख्य दैनिक समाचार पत्रों में क्रमशः दिनांक 30-09-2013 एवं 12-10-2013 को प्रकाशन कराए जाने के बावजूद भी आपके द्वारा क्यों नहीं अपने अनुज्ञाप्ति पर धारित शस्त्र का भौतिक सत्यापन कराया गया। उक्त तिथि तक स्पष्टीकरण अप्राप्त रहने की स्थिति वह समझा जाएगा कि आपको कुछ नहीं कहना है एवं आपकी अनुज्ञाप्ति को रद्द करने की कार्रवाई कर दी जाएगी।

५०१  
जिला दण्डाधिकारी,  
मधेपुरा।

ज्ञापांक 23...../शस्त्र, मधेपुरा, दिनांक 12/12/13

प्रतिलिपि : पुलिस अधीक्षक, मधेपुरा को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित ।

प्रतिलिपि : अबुमण्डल पदाधिकारी, मधेपुरा/उदाकिशुबंगंज को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित ।

प्रतिलिपि : थानाध्यक्ष, मधेपुरा को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित। निर्देश दिया जाता है कि थाना में संधारित शस्त्र निरीक्षण पंजी में भी इसकी प्रविष्टि करना सुनिश्चित करेंगे। साथ ही वे उक्त अनुज्ञाप्तिधारी के पता पर तामिला करा कर उनके निवास स्थान/ पता के संबंध में जॉच कर प्रतिवेदन पुलिस अधीक्षक, मधेपुरा के माध्यम से समर्पित करना सुनिश्चित करेंगे।

५०२  
जिला दण्डाधिकारी,  
मधेपुरा।

समाहरणालय, मधेपुरा  
(शस्त्र शाखा)

ज्ञापांक...../शस्त्र,

जिला शस्त्र शाखा, मधेपुरा,  
दिनांक.....

प्रेषित,

श्री सत्यदेव प्रसाद सिंह पुत्र चन्द्र शेखर सिंह याम पो० भिरखी वार्ड न० १ मधेपुरा जिला मधेपुरा  
विषय : शस्त्र अनुङ्गप्रिति धारित शस्त्र का दिए गए निर्धारित तिथि तक भौतिक सत्यापन नहीं कराये जाने कारण  
स्पष्टीकरण के संबंध ।

अनुङ्गप्रिति संख्या	शस्त्र का प्रकार	नवीकृत वर्ष	विलम्ब का अवधि		
			वर्ष	माह	दिन
28 /82 (मधेपुरा थाना)	D.B.B.L GUN	2009	3	12	9

इस कार्यालय के पत्रांक 1835/गो०, दिनांक 09-09-2013 तथा वेतार संवाद संख्या 462/वि०, दिनांक 08-10-2013 द्वारा मधेपुरा जिलान्तर्गत सभी शस्त्र अनुङ्गप्रितियों पर धारित आग्नेयास्त्रों के भौतिक सत्यापन एवं डाय बेस तैयार करने हेतु क्रमशः दिनांक 04-10-2013 एवं 05-10-2013 तथा दिनांक 19.10.2013 को अपने संबंधित थाना में उपस्थित होकर विहित प्रपत्र में विवरणी भरकर अनुङ्गप्रिति पर धारित शस्त्र का भौतिक सत्यापन कराने हेतु विदेश दिया गया था, जिसकी सूचना सभी मुख्य-मुख्य दैनिक समाचार पत्रों में क्रमशः दिनांक 30-09-2013 (पी०आर०नं०-7235 (जिला)13-14 एवं 12-10-2013 (पी०आर०नं०-7819 (जिला)13-14) को प्रकाशित था, परन्तु आपके द्वारा निर्धारित तिथि को अपने शस्त्र अनुङ्गप्रितियों पर धारित आग्नेयास्त्रों का भौतिक सत्यापन नहीं कराया है, जो शस्त्र नियमावली 1962 की धारा-63 एवं आग्नेयास्त्र अनुङ्गप्रिति की शर्त-९(ए) का उल्लंघन एवं धोर लापरवाही का द्योतक है।

आपके इस कृत के लिए आपके के नाम से निर्गत उक्त शस्त्र अनुङ्गप्रिति को शस्त्र अधिनियम की धारा 17 (3) के तहत तत्कालिक प्रभाव से निर्तंयित किया जाता है

अतएव आदेश दिया जाता है कि आप अपना स्पष्टीकरण साक्ष्य सहित दिनांक 30-12-13 तक विहित प्रपत्र में विवरणी को भरकर (जो मधेपुरा जिला के बेबसाईट <http://www.madhepura.bih.nic.in> पर उपलब्ध है) अद्योहस्ताक्षरी के अवलोकनार्थ स्वयं या अपने अधिवक्ता के माध्यम से समर्पित करना सुनिश्चित करें कि दो-दो बार सभी मुख्य-मुख्य दैनिक समाचार पत्रों में क्रमशः दिनांक 30-09-2013 एवं 12-10-2013 को प्रकाशन कराए जाने के बावजूद भी आपके द्वारा क्यों नहीं अपने अनुङ्गप्रिति पर धारित शस्त्र का भौतिक सत्यापन कराया गया। उक्त तिथि तक स्पष्टीकरण अप्राप्त रहने की स्थिति यह समझा जाएगा कि आपको कुछ नहीं कहना है एवं आपकी अनुङ्गप्रिति को रद्द करने की कार्रवाई कर दी जाएगी।

५५  
जिला दण्डाधिकारी,  
मधेपुरा।

ज्ञापांक 24...../शस्त्र, मधेपुरा, दिनांक 12/12/13

प्रतिलिपि : पुलिस अधीक्षक, मधेपुरा को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित ।

प्रतिलिपि : अनुमण्डल पदाधिकारी, मधेपुरा/उदाकिशुबंगंज को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित ।

प्रतिलिपि : थानाध्यक्ष, मधेपुराको सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित। विदेश दिया जाता है कि थाना में संधारित शस्त्र निरीक्षण पंजी में भी इसकी प्रविष्टि करना सुनिश्चित करेंगे। साथ ही वे उक्त अनुङ्गप्रितिधारी के पता पर तामिला कर कर उनके निवास स्थान/ पता के संबंध में जॉच कर प्रतिवेदन पुलिस अधीक्षक, मधेपुरा के माध्यम से समर्पित करना सुनिश्चित करेंगे।

११/१२/१३  
जिला दण्डाधिकारी,  
मधेपुरा।

समाहरणालय, मधेपुरा

(शस्त्र शास्त्रा)

ज्ञापांक ...../शस्त्र,

जिला शस्त्र शास्त्रा, मधेपुरा,

दिनांक.....

प्रेषित,

अजय कुमार सिंह, पुत्र रामचन्द्र प्रसाद सिंह, ग्राम पो० सुखासन चकला, थाना जिला-मधेपुरा

विषय : शस्त्र अनुज्ञाप्ति धारित शस्त्र का दिए गए निर्धारित तिथि तक भौतिक सत्यापन नहीं कराये जाने कारण स्पष्टीकरण के संबंध ।

अनुज्ञाप्ति संख्या	शस्त्र का प्रकार	नवीकृत वर्ष	विलम्ब का अवधि		
			वर्ष	माह	दिन
29 /82 (मधेपुरा थाना)	D.B.B.L GUN	1995	17	12	9

इस कार्यालय के पत्रांक 1835/गो०, दिनांक 09-09-2013 तथा वेतार संवाद संख्या 462/वि०, दिनांक 08-10-2013 द्वारा मधेपुरा जिलान्तर्गत सभी शस्त्र अनुज्ञाप्तियों पर धारित आग्नेयास्त्रों के भौतिक सत्यापन एवं डाटा बेस तैयार करने हेतु क्रमशः दिनांक 04-10-2013 एवं 05-10-2013 तथा दिनांक 19.10.2013 को अपने संबंधित थाना में उपस्थित होकर विहित प्रपत्र में विवरणी भरकर अनुज्ञाप्ति पर धारित शस्त्र का भौतिक सत्यापन कराने हेतु निदेश दिया गया था, जिसकी सूचना सभी मुख्य-मुख्य दैनिक समाचार पत्रों में क्रमशः दिनांक 30-09-2013 (पी०आर०नं०-7235 (जिला)13-14 एवं 12-10-2013 (पी०आर०नं०-7819 (जिला)13-14) को प्रकाशित था, परन्तु आपके द्वारा निर्धारित तिथि को अपने शस्त्र अनुज्ञाप्तियों पर धारित आग्नेयास्त्रों का भौतिक सत्यापन नहीं कराया है, जो शस्त्र नियमावली 1962 की धारा-63 एवं आग्नेयास्त्र अनुज्ञाप्ति की शर्त-९(ए) का उल्लंघन एवं धोर लापत्त्याही का द्योतक है।

आपके इस कृत के लिए आपके के नाम से निर्णत उक्त शस्त्र अनुज्ञाप्ति को शस्त्र अधिनियम की धारा 17 (3) के तहत तत्कालिक प्रभाव से निलिप्त किया जाता है।

अतएव आदेश दिया जाता है कि आप अपना स्पष्टीकरण साक्ष्य सहित दिनांक 30-12-13 तक विहित प्रपत्र में विवरणी को भरकर (जो मधेपुरा जिला के बेबसाईट <http://www.madhepura.bih.nic.in> पर उपलब्ध है) अद्योहस्ताक्षरी के अवलोकनार्थ स्वयं या अपने अधिवक्ता के माध्यम से समर्पित करना सुनिश्चित करें कि दो-दो बार सभी मुख्य-मुख्य दैनिक समाचार पत्रों में क्रमशः दिनांक 30-09-2013 एवं 12-10-2013 को प्रकाशन कराए जाने के बावजूद भी आपके द्वारा क्यों नहीं अपने अनुज्ञाप्ति पर धारित शस्त्र का भौतिक सत्यापन कराया गया। उक्त तिथि तक स्पष्टीकरण अप्राप्त रहने की स्थिति यह समझा जाएगा कि आपको कुछ नहीं कहना है एवं आपकी अनुज्ञाप्ति को रद्द करने की कार्रवाई कर दी जाएगी।

१०१  
जिला दण्डाधिकारी,  
मधेपुरा।

ज्ञापांक 25 ...../शस्त्र, मधेपुरा, दिनांक 12/12/13.

प्रतिलिपि : पुलिस अधीक्षक, मधेपुरा को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित ।

प्रतिलिपि : अनुमान्डल पदाधिकारी, मधेपुरा/उदाकिशुनगंज को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित ।

प्रतिलिपि : थानाध्यक्ष, मधेपुरा को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित। निदेश दिया जाता है कि थाना में संधारित शस्त्र निरीक्षण पंजी में भी इसकी प्रविष्टि करना सुनिश्चित करेंगे। साथ ही वे उक्त अनुज्ञाप्तिधारी के पता पर तामिला करा कर उनके निवास स्थान/ पता के संबंध में जोच कर प्रतिवेदन पुलिस अधीक्षक, मधेपुरा के माध्यम से समर्पित करना सुनिश्चित करेंगे।

१०१  
जिला दण्डाधिकारी,  
मधेपुरा।

समाहरणालय, मधेपुरा

(शस्त्र शाखा)

ज्ञापांक...../शस्त्र,

जिला शस्त्र शाखा, मधेपुरा,

दिनांक.....

प्रेषित,

श्री शिवनंबन प्रसाद मंडल, पुत्र श्री तारणी प्रसाद मंडल, याम चकला, लक्षीरामपुर, थाना+जिला-मधेपुरा  
विषय : शस्त्र अनुज्ञिति धारित शस्त्र का दिए गए निर्धारित तिथि तक भौतिक सत्यापन नहीं कराये जाने कारण  
स्पष्टीकरण के संबंध ।

अनुज्ञित संख्या	शस्त्र का प्रकार	नवीकृत वर्ष	विलम्ब का अवधि		
			वर्ष	माह	दिन
30 /82 (मधेपुरा थाना)	D.B.B.L GUN	1998	14	12	9

इस कार्यालय के पत्रांक 1835/गो०, दिनांक 09-09-2013 तथा वेतार संवाद संख्या 462/वि०, दिनांक 08-10-2013 द्वारा मधेपुरा जिलाक्तर्गत सभी शस्त्र अनुज्ञितियों पर धारित आग्नेयास्त्रों के भौतिक सत्यापन एवं डाया बेस तैयार करने हेतु क्रमशः दिनांक 04-10-2013 एवं 05-10-2013 तथा दिनांक 19.10.2013 को अपने संबंधित थाना में उपस्थित होकर विहित प्रपत्र में विवरणी भरकर अनुज्ञिति पर धारित शस्त्र का भौतिक सत्यापन कराने हेतु निदेश दिया गया था, जिसकी सूचना सभी मुख्य-मुख्य दैनिक समाचार पत्रों में क्रमशः दिनांक 30-09-2013 (पी०आर०न०-7235 (जिला)13-14 एवं 12-10-2013 (पी०आर०न०-7819 (जिला)13-14) को प्रकाशित था, परन्तु आपके द्वारा निर्धारित तिथि को अपने शस्त्र अनुज्ञितियों पर धारित आग्नेयास्त्रों का भौतिक सत्यापन नहीं कराया है, जो शस्त्र नियमावली 1962 की धारा-63 एवं आग्नेयास्त्र अनुज्ञिति की शर्त-९(ए) का उल्लंघन एवं धोर लापरवाही का द्योतक है।

आपके इस कृत के लिए आपके के नाम से विर्गत उक्त शस्त्र अनुज्ञिति को शस्त्र अधिनियम की धारा 17 (3) के तहत् तत्कालिक प्रभाव से निलंबित किया जाता है।

अतएव आदेश दिया जाता है कि आप अपना स्पष्टीकरण साक्ष्य सहित दिनांक 30-12-13 तक विहित प्रपत्र में विवरणी को भरकर (जो मधेपुरा जिला के वेबसाईट <http://www.madhepura.bih.nic.in> पर उपलब्ध है) अद्योहस्ताक्षरी के अवलोकनार्थ स्वंय या अपने अधिवक्ता के माध्यम से समर्पित करना सुनिश्चित करें कि दो-दो बार सभी मुख्य-मुख्य दैनिक समाचार पत्रों में क्रमशः दिनांक 30-09-2013 एवं 12-10-2013 को प्रकाशन कराए जाने के बावजूद भी आपके द्वारा क्यों नहीं अपने अनुज्ञिति पर धारित शस्त्र का भौतिक सत्यापन कराया गया। उक्त तिथि तक स्पष्टीकरण अप्राप्त रहने की इथिति यह समझा जाएगा कि आपको कुछ नहीं कहना है एवं आपकी अनुज्ञिति को रद्द करने की कार्रवाई कर दी जाएगी।

४०

जिला दण्डाधिकारी,  
मधेपुरा।

ज्ञापांक २६...../शस्त्र, मधेपुरा, दिनांक १२।१२।१३

प्रतिलिपि : पुलिस अधीक्षक, मधेपुरा को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

प्रतिलिपि : अनुमण्डल पदाधिकारी, मधेपुरा/उदाकिशुनगंज को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

प्रतिलिपि : थानाध्यक्ष, मधेपुरा को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित। निदेश दिया जाता है कि थाना में संधारित शस्त्र निरीक्षण पंजी में भी इसकी प्रयोगिता करना सुनिश्चित करेंगे। साथ ही वे उक्त अनुज्ञितिधारी के पता पर तामिला करा कर उनके निवास स्थान/ पता के संबंध में जॉच कर प्रतिवेदन पुलिस अधीक्षक, मधेपुरा के माध्यम से समर्पित करना सुनिश्चित करेंगे।

४१।१२।१३

जिला दण्डाधिकारी,  
मधेपुरा।

समाहरणालय, मधेपुरा

(शस्त्र शाखा)

ज्ञापांक...../शस्त्र,

जिला शस्त्र शाखा, मधेपुरा,

दिनांक.....

प्रेषित,

श्री मुरलीधर प्रसाद सिंह अधिवक्ता, पे०- आदित्य प्रसाद सिंह, गाम+पो०-मधेपुरा

विषय : शस्त्र अनुज्ञाप्ति धारित शस्त्र का दिए गए निर्धारित तिथि तक भौतिक सत्यापन नहीं कराये जाने कारण स्पष्टीकरण के संबंध ।

अनुज्ञाप्ति संख्या	शस्त्र का प्रकार	नवीकृत वर्ष	विलम्ब का अवधि		
			वर्ष	माह	दिन
01 /83 (मधेपुरा थाना)	S.B.B.L GUN	2010	2	12	9

इस कार्यालय के पत्रांक 1835/गो०, दिनांक 09-09-2013 तथा वेतार संवाद संख्या 462/वि०, दिनांक 08-10-2013 द्वारा मधेपुरा जिलान्तर्गत सभी शस्त्र अनुज्ञाप्तियों पर धारित आनेयास्त्रों के भौतिक सत्यापन एवं डाटा बेस तैयार करने हेतु क्रमशः दिनांक 04-10-2013 एवं 05-10-2013 तथा दिनांक 19.10.2013 को अपने संबंधित थाना में उपस्थित होकर विहित प्रपत्र में विवरणी भरकर अनुज्ञाप्ति पर धारित शस्त्र का भौतिक सत्यापन कराने हेतु निदेश दिया गया था, जिसकी सूचना सभी मुख्य-मुख्य दैनिक समाचार पत्रों में क्रमशः दिनांक 30-09-2013 (पी०आर०न०-7235 (जिला) 13-14 एवं 12-10-2013 (पी०आर०न०-7819 (जिला) 13-14) को प्रकाशित था, परन्तु आपके द्वारा निर्धारित तिथि को अपने शस्त्र अनुज्ञाप्तियों पर धारित आनेयास्त्रों का भौतिक सत्यापन नहीं कराया है, जो शस्त्र नियमावली 1962 की धारा-63 एवं आनेयास्त्र अनुज्ञाप्ति की शर्त-५(ए) का उल्लंघन एवं धोर लापरवाही का द्योतक है।

आपके इस कृत के लिए आपके के नाम से निर्गत उक्त शस्त्र अनुज्ञाप्ति को शस्त्र अधिनियम की धारा 17 (3) के तहत् तत्कालिक प्रभाव से विलम्बित किया जाता है।

अतएव आदेश दिया जाता है कि आप अपना स्पष्टीकरण साक्ष्य सहित दिनांक 30-12-13 तक विहित प्रपत्र में विवरणी को भरकर (जो मधेपुरा जिला के बेबसाईट <http://www.madhepura.bih.nic.in> पर उपलब्ध है) अद्योहस्ताक्षरी के अवलोकनार्थ स्वयं या अपने अधिवक्ता के माध्यम से समर्पित करना सुनिश्चित करें कि दो-दो बार सभी मुख्य-मुख्य दैनिक समाचार पत्रों में क्रमशः दिनांक 30-09-2013 एवं 12-10-2013 को प्रकाशन कराए जाने के बावजूद भी आपके द्वारा क्यों नहीं अपने अनुज्ञाप्ति पर धारित शस्त्र का भौतिक सत्यापन कराया गया। उक्त तिथि तक स्पष्टीकरण अप्राप्त रहने की स्थिति यह समझा जाएगा कि आपको कुछ नहीं कहना है एवं आपकी अनुज्ञाप्ति को रद्द करने की कार्रवाई कर दी जाएगी।

१०

जिला दण्डाधिकारी,  
मधेपुरा।

ज्ञापांक 27 ...../शस्त्र, मधेपुरा, दिनांक 12/12/13

प्रतिलिपि : पुलिस अधीक्षक, मधेपुरा को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

प्रतिलिपि : अनुमांडल पदाधिकारी, मधेपुरा/उदाकिशुनगंज को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

प्रतिलिपि : थानाध्यक्ष, मधेपुरा को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित। निदेश दिया जाता है कि थाना में संधारित शस्त्र निरीक्षण पंजी में भी इसकी प्रतिष्ठित करना सुनिश्चित करेंगे। साथ ही वे उक्त अनुज्ञाप्तिधारी के पता पर तामिला करा कर उनके निवास स्थान/ पता के संबंध में जाँच कर प्रतिवेदन पुलिस अधीक्षक, मधेपुरा के माध्यम से समर्पित करना सुनिश्चित करेंगे।

१२/12/13

जिला दण्डाधिकारी,  
मधेपुरा।

समाहरणालय, मधेपुरा  
(शस्त्र शाखा)

ज्ञापांक...../शस्त्र,

जिला शस्त्र शाखा, मधेपुरा,  
दिनांक.....

प्रेषित,

श्री अभ्य कुमार सिंह, पे० श्री मृत्युजय नारायण सिंह, याम भतरंघा, ठोला परमानपुरा, थाना+जिला-मधेपुरा

विषय : शस्त्र अनुज्ञाप्ति धारित शस्त्र का दिए गए निर्धारित तिथि तक भौतिक सत्यापन नहीं कराये जाने कारण स्पष्टीकरण के संबंध ।

अनुज्ञाप्ति संख्या	शस्त्र का प्रकार	वर्वीकृत वर्ष	विलम्ब का अवधि		
			वर्ष	माह	दिन
04 /83 (मधेपुरा थाना)	S.B.B.L GUN	-			

इस कार्यालय के पत्रांक 1835/गो०, दिनांक 09-09-2013 तथा वेतार संवाद संख्या 462/वि०, दिनांक 08-10-2013 द्वारा मधेपुरा जिलाल्लागत सभी शस्त्र अनुज्ञाप्तियों पर धारित आग्नेयास्त्रों के भौतिक सत्यापन एवं डाटा बेस तैयार करने हेतु क्रमशः दिनांक 04-10-2013 एवं 05-10-2013 तथा दिनांक 19.10.2013 को अपने संबंधित थाना में उपस्थित होकर विहित प्रपत्र में विवरणी भरकर अनुज्ञाप्ति पर धारित शस्त्र का भौतिक सत्यापन कराने हेतु निदेश दिया गया था, जिसकी सूचना सभी मुख्य-मुख्य दैनिक समाचार पत्रों में क्रमशः दिनांक 30-09-2013 (पी०आर०न०-7235 (जिला)13-14 एवं 12-10-2013 (पी०आर०न०-7819 (जिला)13-14) को प्रकाशित था, परन्तु आपके द्वारा निर्धारित तिथि को अपने शस्त्र अनुज्ञाप्तियों पर धारित आग्नेयास्त्रों का भौतिक सत्यापन नहीं कराया है, जो शस्त्र नियमावली 1962 की धारा-63 एवं आग्नेयास्त्र अनुज्ञाप्ति की शर्त-९(ए) का उल्लंघन एवं धोर लापरवाही का द्योतक है।

आपके इस कृत के लिए आपके के नाम से निर्गत उक्त शस्त्र अनुज्ञाप्ति को शस्त्र अधिनियम की धारा 17 (3) के तहत् तत्कालिक प्रभाव से निलंबित किया जाता है

अतएव आदेश दिया जाता है कि आप अपना स्पष्टीकरण साक्ष्य सहित दिनांक 30-12-13 तक विहित प्रपत्र में विवरणी को भरकर (जो मधेपुरा जिला के बेबसाईट <http://www.madhepura.bih.nic.in> पर उपलब्ध है) अद्योहस्ताक्षरी के अवलोकनार्थ स्वयं या अपने अधिवक्ता के माध्यम से समर्पित करना सुनिश्चित करें कि दो-दो बार सभी मुख्य-मुख्य दैनिक समाचार पत्रों में क्रमशः दिनांक 30-09-2013 एवं 12-10-2013 को प्रकाशन कराए जाने के बावजूद भी आपके द्वारा क्यों नहीं अपने अनुज्ञाप्ति पर धारित शस्त्र का भौतिक सत्यापन कराया गया। उक्त तिथि तक स्पष्टीकरण अप्राप्त रहने की स्थिति यह समझा जाएगा कि आपको कुछ नहीं कहना है एवं आपकी अनुज्ञाप्ति को रद्द करने की कार्रवाई कर दी जाएगी।

५०१

जिला दण्डाधिकारी,  
मधेपुरा।

ज्ञापांक 28...../शस्त्र, मधेपुरा, दिनांक 12/12/13

प्रतिलिपि : पुलिस अधीक्षक, मधेपुरा को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित ।

प्रतिलिपि : अनुमण्डल पदाधिकारी, मधेपुरा/उदाकिशुबगंज को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित ।

प्रतिलिपि : थानाध्यक्ष, मधेपुरा को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित । निदेश दिया जाता है कि थाना में संधारित शस्त्र निरीक्षण पंजी में भी इसकी प्रविष्टि करना सुनिश्चित करेंगे। साथ ही वे उक्त अनुज्ञाप्तिधारी के पता पर तामिला करा कर उनके निवास स्थान/ पता के संबंध में जॉच कर प्रतिवेदन पुलिस अधीक्षक, मधेपुरा के माध्यम से समर्पित करना सुनिश्चित करेंगे।

१२/१२/१३

जिला दण्डाधिकारी,  
मधेपुरा।

